



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/ 271-518

दिनांक: 11-01-2023

समस्त आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान

विषय:- "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना"में कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति नियमित पोर्टल पर दर्ज करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्य-मंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार दिनांक 09.09.2022 से "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी" योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार आपके द्वारा कार्यवार, मस्टरोल वार जारी कर मस्टरोल वार श्रमिकों का नियोजन किया जाकर नियमित उपस्थित श्रमिकों की उपस्थिति IRGY पोर्टल पर दर्ज की जानी आवश्यक है, चूंकि यह योजना राज्य सरकार की FLAG-SHIP योजना है। इसकी समीक्षा नियमित रूप से राज्य सरकार के स्तर से की जा रही है। आपके द्वारा नियमित रूप उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के कारण वास्तविक उपस्थिति का आकलन करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में योजना की समीक्षा के दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की जाती है। जो योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि आप आपकी नगरीय निकाय में दिनांक 31.12.2022 तक जारी मस्टरोल वार कार्य पर नियोजित श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति पोर्टल पर आगे के पखवाड़ो हेतु दर्ज कर दिनांक 15.01.2023 तक सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करावें, अन्यथा आपके द्वारा पोर्टल पर मस्टरोल जारी नहीं की जा सकेगी ऐसी स्थिति में योजना की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/511-53 दिनांक - 11-01-2023
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजि सहायक शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सहायक, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सहायक, समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला समन्वयक "इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना" राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय जयपुर।
5. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. सहायक निदेशक (IT) निदेशालय, जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली

(भूपेन्द्र माथुर)

परियोजना निदेशक (IRGY)